

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 939 / 2014 / जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, आबूरोड।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स समदडी स्ट्रीप्स प्रा०लि०,
बासनी, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री राजेन्द्र जैन,
अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 04 / 10 / 2016

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 23/आरवेट/जेयूसी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत कायम शास्ति 65,280/- को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 27.10.2013 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-प्रथम, आबूरोड द्वारा ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आरजे 19 2जी-0273 को रूकवा कर वहनित माल के बाबत पूछताछ कर दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी, चालान व घोषणा पत्र वैट-47 पेश किये जाने के निर्देश पर वाहन चालक माल प्रभारी श्री सहीराम ने कथन किया कि वाहन में परचून भरा है जो अहमदाबाद (गुजरात) से भरकर लाये है तथा पाली मारवाड एवं जोधपुर (राज.) ले जा रहे है। माल के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये गये :-

1. मैसर्स डी.आर.टी.सी. लि०, अहमदाबाद द्वारा जारी जी.आर. मेन चालान नम्बर 2582251, 2582241, 2582242 एवं 2582243 दिनांक 26.10.2013 मय इन्द्राजित बिल, बिल्टी इत्यादि दस्तावेज पेश किये गये।

वहनित माल के बाबत प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात वहनित माल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन पर कुछ माल अघोषित पाया गया जिनकी बिल व बिल्टी नहीं थी कुछ माल बिना बिल के तथा खाली वैट 47 से समर्थित पाया गया तथा कुछ माल जो कि अधिसूचित माल था बिना वैट 47 के परिवहित होना पाया गया। उक्त माल विभिन्न



लगातार.....2

आयातकर्ता फर्मों का था जिसके संबंध में प्रकरण को प्रशमित कर प्रशमन राशि आरोपित की गई सिवाय मैसर्स समदडी स्टील प्रा0लि0, जोधपुर (अपीलार्थी) के जिसके द्वारा आयातित केबिल हाई वोल्टेज कीमतन 2,17,600/- के जिसको अभिग्रहित किया गया तथा पत्रावली जांच अधिकारी से सशक्त अधिकारी के पास नियमानुसार स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने के पश्चात अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। चूंकि अपीलार्थी फर्म द्वारा आयातित माल नियम 53 के तहत अधिसूचित माल था जिसके लिये परिवहन पर वैट 47 होना आवश्यक था। परन्तु वक्त जांच वैट 47 नहीं पाया गया। माल प्रभारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करके सक्षम अधिकारी ने शास्ति राशि 65,280/- रुपये आरोपित कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.04.2014 के द्वारा स्वीकार कर ली। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वक्त वाहन चैकिंग विवादित माल हाई वोल्टेज पीवीसी कोटेड केबिल जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर, नियम 2005 के नियम 53 के तहत राज्य में आयात करने पर अधिसूचित माल है जिसके परिवहन पर घोषणा पत्र वैट 47 अनिवार्य था परन्तु वक्त जांच वैट घोषणा पत्र नहीं पाया गया बल्कि जांच तिथि दिनांक 29.10.2013 से एक दिन पश्चात दिनांक 30.10.2013 को प्रस्तुत किया गया था जो पश्चातवर्ती सोच का परिचायक था। जिसको अस्वीकार कर सशक्त अधिकारी ने शास्ति आरोपण पारित किया है वह धारा 76 व नियम 53 तथा नियम 56 एवं 57 के अनुरूप विधिनुकूल आदेश था जिसको अपीलीय अधिकारी ने बिना तथ्यों को ध्यान रखते हुए अपास्त किया है वह अनुचित व विधि विरुद्ध है जिसको अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया एवं कथन किया कि सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति अविधिक होने के कारण अपास्तनीय है। उन्होंने उक्त प्रकरण मैसर्स डी.पी. मेटल्स में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप भूलवश ट्रांसपोर्टों के यहां रह गये छूट गये घोषणा पत्र को जांच तिथि के अगले ही दिन प्रस्तुत कर दिये जाने के कारण विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के शास्ति आदेश को निरस्त किया जाना विधिनुकूल है। अतः उन्होंने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन करने तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। कर योग्य एवं अधिसूचित श्रेणी के माल हाई वोल्टेज पी.वी.सी. कोटेड केबल से सम्बन्धित माल के आयात/परिवहनित करने पर वक्त जांच


चेकिंग के समय अधिनियम की धारा 76(2), 79 सपठित नियम 53 के प्रावधान अनुसार वैट 47 प्रपत्र मार्गस्त माल के दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना विधिक अनिवार्यता है, परन्तु वक्त जांच उक्त अपेक्षित घोषणा पत्र वैट 47 नहीं पाया गया। तदनुरूप माल को अभिग्रहित किया गया परन्तु अगले ही दिन अपीलार्थी व्यवहारी ने पूर्ण रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र सशक्त अधिकारी के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि भूल से घोषणा पत्र ट्रांसपोर्टर के यहां ही रह गया था। जिसको मय जवाब अब प्रस्तुत कर रहा है साथ ही संव्यवहार से संबंधित "सी" प्रपत्र की छाया प्रति तथा बिल की राशि के संबंध में आरटीजीएस की माध्यम से दिनांक 23.10.2013 को भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत किये। ऐसे प्रकरणों में डी.पी. मेटल्स के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो उसका उल्लेख माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दृष्टान्त एसीटीओ, एफएस भरतपुर बनाम हरसहाय द्वाराका प्रसाद अग्रवाल वो. 43 पार्ट 7 टैक्स अपडेट पृष्ठ 230 में निम्न प्रकार उल्लेखित किया है :-

"In my view, the order of the Tax Board deserves to be upheld for the reason that the declaration form, which was obtained by the assessee, was available with them, and which was produced immediately on demand, and even on the same day of intercepting the vehicle. Admittedly, it is not a cast that the declaration form was obtained subsequent to the dispatch of the goods or after being intercepted by the authorized officer of the Revenue, and admittedly the vehicle was checked on June 23, 1999 on an information going by the vehicle incharge to the assessee, he appeared before the authorized officer himself on the same day, i.e. June 23, 1999 and produced declaration form ST-18C, therefore, once it is a finding of fact given by the assessing officer that the declaration form was produced on the same day on June 23, 1999 when the vehicle was intercepted, in my view, in the light of the judgment rendered by the honourable apex court in the case of D.P. Metals [2001] 124 STC 611 (SC) [2002] 1 SCC 279 and in the light of the rule 54 of the RST Rules, which postulate that principle of natural justice demand that an opportunity should be given and therefore, it is a clear cut case where the declaration form, though mandatory, required to be carried with the vehicle but the driver/vehicle incharge forgot to carry the same, which was immediately produced on demand that too on same day."

अपीलीय अधिकारी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनया गया।


4.10.2016
(मदन लाल)
सदस्य